प्रतिलिपि क्रमांक 1287-4जी0एस0I-73/7365 दिनांक 22-3-73 राजनैतिक एवं सेवायें कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल आदि को सम्बोधित है ।

विषय : अनिवार्य सेवा निवृति की आयु-55 वर्ष आयु से आगे सरकारी कर्मचारी की सेवा में रखने की कसौटी में परिवर्तन ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार की हिदायतों क्रमांक 113-4 जी0 एस0 I-73/1611, दिनांक 18-1-73 (जिसमें यह निहित है कि भविष्य में सभी श्रेणी III के कर्मचारियों को 55 वर्ष से आगे सेवा में रखने का निर्णय विभागाध्यक्ष प्रशासकीय सचिव की राय लेने के बाद किया करें तथा उसके बगैर नहीं) की ओर दिलाऊं और कहूं कि इस मामले की आगे जांच की और गई निम्नलिखित निर्णय लिया गया है । उपयरोक्त हिदायतें केवल उन श्रेणी III के कर्मचारियों पर लागू होंगी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्य है, और जिनको 55 वर्ष आयु से आगे सेवा में रखने का निर्णय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ही लिया करते थे । दूसरे श्रेणी III कर्मचारियों, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष से नीचे के स्तर के अधिकारी है, को 55 वर्ष आयु से आगे सेवा में रखने का निर्णय उनके नियुक्ति प्राधिकारी अपने से उपर के स्तर के प्राधिकारी की मंत्रणा प्राप्त करने के बाद तथा उस मंत्रणा के अनुसार लेगें ।

2. आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों को ध्यान पूर्वक नोट कर लिया जाये तथा इनकी दृढ़ता से अनुपालना के लिये इनको अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में लाया जाये ।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।